भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-504
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

केरल को अतिरिक्त बिजली आवंटन

504. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सरकार ने केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से सस्ती दरों पर अतिरिक्त बिजली के आवंटन की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:

(ख) क्या यह सच है कि विगत वर्षों में बिजली की मांग अनुमान से अधिक रही है तथा राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष मांग में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) क्या राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से अतिरिक्त बिजली के आवंटन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान केरल की वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में प्रत्याशित/अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

तदनुसार, केरल अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम रहा है, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच केवल मामूली अंतर है। केरल राज्य ने अतिरिक्त विद्युत आवंटन के लिए निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(i) केरल को एनटीपीसी लिमिटेड के तालचेर-II स्टेशन से आवंटन 180 मेगावाट से बढ़ाकर 400 मेगावाट करना।
(ii) केरल को एनटीपीसी बाढ ताप विद्युत स्टेशन से आवंटन वर्तमान 177 मेगावाट से 400 मेगावाट तक बढ़ाना और इसे वर्तमान मार्च 2025 से जून 2025 तक बढ़ाना।

(iii) केरल को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन से 350 मेगावाट का आवंटन।

केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, 10% विद्युत गृह राज्य को आवंटित की जाती है, 15% विद्युत आवंटित नहीं की जाती है और इसे केंद्र सरकार के निपटान के लिए रखा जाता है। शेष 75% विद्युत क्षेत्र के राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित हिस्से के रूप में वितरित की जाती है। यदि क्षेत्र का कोई संघटक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हकदारी हिस्से अथवा उसके हिस्से को सुनिश्चित हिस्से में लेने से इंकार करता है तो उसे क्षेत्र से बाहर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाएगा।

एनटीपीसी लिमिटेड के तालचेर-II स्टेशन (2000 मेगावाट क्षमता) की विद्युत, विद्युत आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित की गई है। केरल को तालचेर-II थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) से उसके निश्चित हिस्से के रूप में 247 मेगावाट आवंटित किया गया है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अनावंटित हिस्से में से 181.74 मेगावाट भी आवंटित किया गया है।

बाढ़-II (1320 मेगावाट क्षमता) टीपीएस बिहार राज्य में स्थित है और इसकी पूरी विद्युत पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जाती है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति को कम करने के लिए, भारत सरकार ने इस ताप विद्युत स्टेशन से झारखंड और सिक्किम के समर्पित निश्चित हिस्से में से केरल को 177 मेगावाट दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए आवंटित किया है। इसके अलावा, गर्मियों के महीनों में विद्युत की मांग की प्रत्याशा को देखते हुए, भारत सरकार ने इस आवंटन को दिनांक 30.06.2025 तक बढ़ा दिया है।

केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए, 50% विद्युत गृह राज्य को आवंटित की जाती है, 15% विद्युत आवंटित नहीं की जाती है और इसे केंद्र सरकार के निपटान के लिए रखा जाता है। शेष 35% विद्युत एक निश्चित हिस्से के रूप में क्षेत्र के राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में वितरित की जाती है। यदि क्षेत्र का कोई संघटक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हकदारी हिस्से या उसके हिस्से को दृढ़ हिस्से में लेने से इनकार करता है, तो उसे क्षेत्र के बाहर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाएगा।

उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटन दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन की इकाई-7 और 8 से पूरी 1400 मेगावाट विद्युत पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 504

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिसंबर 2024 तक) के दौरान केरल की वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता के मुकाबले प्रत्याशित/अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता का ब्यौरा:

वर्ष	प्रत्याशित/अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता	वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
2021-22	28,085	26,579	26,570
2022-23	28,204	27,747	27,726
2023-24	29,496	30,943	30,938
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	23,901	23,478	23,470

****